न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0न0:– 450/2016
पीठासीन अधिकारी:–राजकुमार कस्वा (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 19.05.2022

1. संतरा देवी उर्फ कंचन देवी पुत्री श्री नारायण भारती पत्नी श्री मदनलाल गोस्वामी निवासी गंगातीकला हाल निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

..... प्रार्थीनी

बनाम

1. नारायण भारती पुत्र स्व. श्री सुवा भारती जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा (तिबारा मठ) पोस्ट नीमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
2. ज्ञान भारती पुत्र श्री मोहनलाल भारती जाति भारती गुसाई निवासी जगन्नाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री नारायण सहाय पारीक वकील प्रार्थी
श्री सुनिल कुमार जोशी वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 19.05.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीनी व अप्रार्थी नम्बर 1 आपस में पुत्री व पिता है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 की 4/7 में से 1/7 हिस्से की आराजीयात खसरा नम्बरान 117 रकबा 4.05 बीघा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1.13 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 120 रकबा 3.16 बीघा, खसरा नम्बर 121 रकबा 17.05 बीघा, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.09 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 124 रकबा 4.03 बीघा, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 127 रकबा 3.09 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 129 रकबा 5.07 बीघा, खसरा नम्बर 130 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 133 रकबा 5.14 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 1.15 बीघा खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.19 बीघा, एवं खसरा नम्बर 150 रकबा 2.13 बीघा कुल किता 22 कुल रकबा

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

64.03 बीघा ग्राम जगन्नाथपुरा पटवार हल्का नीमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसका 4/7 में से 1/7 हिस्से का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात के अपने हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 आज बहैसियत काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पुश्तैनी तथा बिना बटी है। जिसमें प्रार्थीनी का पैतृक सम्पत्ति होने से उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है। हिन्दू कानून के अन्तर्गत प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री होने के कारण उक्त अप्रार्थी नम्बर 1 के 4/7 का 1/4 हिस्से की भूमि में सहस्वामी है। अप्रार्थी नम्बर 1 प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 के कानूनी हिस्सों की भूमि 4/7 के 1/7 हिस्से की भूमि को आज तक काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन अब अप्रार्थी नम्बर 1 असामाजिक तत्वों के चक्कर में पड़ गया है तथा वे अपने 4/7 के 1/7 हिस्से की आराजीयात जिसमें प्रार्थीनी का भी हक है, को चुपचाप बिना किसी परिवार के सदस्यों को बतायें बैचने की फिराक में है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ऐसा किये जाने से प्रार्थीनी के सम्पत्ति के अधिकार पर कुठाराघात होगा। क्योंकि प्रार्थीनी अप्रार्थी नम्बर 1 की पुत्री है तथा विधिक उत्तराधिकारी है। अप्रार्थी नम्बर 1 उक्त 4/7 के 1/7 हिस्से की आराजीयात को विक्रय करने का अकेला अधिकारी नही है। प्रार्थीनी आज से दो दिन पूर्व 16.01.2008 को जब अप्रार्थी संख्या 1 से खेत पर मिलने गई तो वहां पर उसने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ अन्य लोगों को देखा तथा उनसे पूछा कि कैसे आयें तो उन्होंने बताया कि वह अप्रार्थी संख्या 1 की 4/7 के 1/7 हिस्से की भूमि को खरीदने आयें है। इस पर प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 को समझाया कि आप विवादित भूमि को अकेले बैचने के अधिकारी नही जिसमें प्रार्थीनी का 1/2 हिस्सा है, तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीनी को कहा कि वह परिवार का कर्ता है तथा खातेदारी में भी है। इस कारण वह अपने उपरोक्त 4/7 के 1/7 हिस्से की भूमि को किसी को भी विक्रय कर कब्जा सौंप सकता है तथा विक्रय–पत्र पंजीबद्ध करवा सकता है। जिसका की अप्रार्थी संख्या 1 को

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.....3

कोई अधिकार नहीं है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ऐसा करने पर अनाधिकृत रूप से आमादा है। जिस बाबत प्रार्थीनी द्वारा वाद विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में वाद पेश किया था तथा वाद पेश किये जाने के पश्चात अप्रार्थी जो प्रार्थीनी का पिता है अपने रिश्तेदारों को लेकर आया तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में भूमि को विक्रय नहीं करूंगा तथा प्रार्थीया की सहमति के बिना किसी भी प्रकार से खातेदारी भूमि को बेच हस्तानान्तरण नही किया जावेगा जिससे प्रार्थीया अपने पिताजी के द्वारा किये गये वचन से सहमत हो गई तथा पारिवारिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए वाद दिनांक 23.05.2008 को विड्रो कर लिया उसके पश्चात् शांतिपूर्वक अपने हिस्से की भूमि को काश्त करती आ रही है, तथा पिताजी की सेवा सुश्रषा करती आ रही है। प्रार्थीया जो कि अनपढ़ एवं ग्रामीण महिला है, अभी हाल ही में दिनांक 05.11.2016 को अपवाह सुनी कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सम्पूर्ण आराजीयात को मात्र खसरा नम्बर 136 एवं 137 को छोड़ते हुये अप्रार्थी संख्या 2 के हक में विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे अपने उपरोक्त नापाक मन्सूबों में कामयाब हो जायेगे, जिससे प्रार्थीनी द्वारा वाद पेश किये जाने की मंशा ही फौत हो जायेगी, ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा। अतः न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें, जिससे प्रार्थीनी को न्याय मिल सकें। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 की और से वकील श्री सुनिल कुमार जोशी उपस्थित आये तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 की और से जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया की यह कि प्रार्थीनी ने विवादित आराजी में कभी काश्त नहीं की न ही काश्त करने का कोई

लगातार..................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीनी ने अप्रार्थी सं0 1 को विक्रय पत्र में प्राप्त प्रतिफल राशि में से हक प्राप्त करने उपरान्त भी शेष राशि को हडपने तथा हैरान – परेशान करने हुत प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित आराजी प्रार्थीनी की पैत्रिक सम्पति नही है वरन अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पति है। विधि के प्रावधानो के अनुसार परिवार की आवश्यकताओ के लिये कर्ताखानदान अपनी स्वअर्जित सम्पति को रहन, विक्रय आदि करने के लिये पूर्णरूप से स्वतन्त्र सक्षम है। विधि में किसी भी प्रावधान से एक रिकार्डेड खातेदार को उसके विधिक अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। विवादित आराजी सुवा भारती की आराजी नहीं है, न ही प्रार्थीनी ने सुवा भारती का कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है। जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित आराजी नारायण के पिताजी की आराजी है, सत्यता यह है कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 1 को बक्शीश में मिली थी, पर्चे से पहले भी अप्रार्थी के पिता सुवा का विवादित आराजी से किसी प्रकार का संबंध नही रहा है। जमीनो के अत्यधिक मुल्य बढ जाने के कारण से प्रार्थीनी को बहकाकर निराधार प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से किया है, जो काबिले खारिज है। अप्रार्थी सं. 1 के कोई जायन्दा पुत्र नही है अप्रार्थी सं. 1 काफी वृद्ध है। वृद्धावस्था के कारण अधिकांशत बीमार रहते है आय का अन्य कोई स्रोत नही है, वर्षा के अभाव से काश्त भी नही होती है। ऐसी परिस्थितियो में अप्रार्थी सं. 1 के स्वयं के भरण – पोषण व ईलाज व अन्य पारिवारीक आवश्यकताओ के लिये आवश्यकतानुसार विक्रय करने के अलावा अन्य कोई उपाय भी नही है। अप्रार्थी स.1 विवादित आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है प्रार्थीया का आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। रिकार्डेड खातेदार को उसके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण मय हर्जा – खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.....5

निषेधाज्ञा के तथ्यो को दोहराते हुये बताया की विवादग्रस्त सम्पति पैतृक सम्पति है। प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी के कोई वारिस नही है। पोता/पोती के उक्त विवादग्रस्त आराजी मे समान अधिकारी है। वर्तमान जमाबन्दी जगदीश, मोहनलाल, नारायण प्रेम पि0 सुवा हिस्सा 4/7 अंकित है। पुत्री होना, पैतृक सम्पति होना स्वीकार करते है। सैटलमेन्ट जमाबन्दी सेवालाल वल्द पप्सवाणी अंकित है। रजिस्ट्री जो करवाई है तो Void Document है। विक्रय पत्र से साबित है कि आगे भी अंतरण कर सकते है। नवीन वाद मे पूर्ववर्ती वाद का भी उल्लेख किया गया है। पूर्ववर्ती वाद विड्रा किया मगर मेरे पिता द्वारा सम्पति विक्रय करने पर मुझे पुनः नया वाद प्रस्तुत करना पडा। प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला साबित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

1. आर0बी0जे0 2012 पेज 26
2. डी0एन0जे0 2006 पेज 421
3. आर0बी0जे0 2016 पेज 23
4. आर0आर0डी0 1987 पेज 427

अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यो का खण्डन करते हुये व जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये बताया की प्रार्थी द्वारा वर्ष 2008 मे दिनांक 16.08.2008 को वाद कारण प्रस्तुत करते हुए पूर्व मे पेश किया जा चुका है जिससे समान तथ्य व वार कारण समान थे। वर्ष 2015 मे विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया। वर्तमान मे अप्रार्थी सं0 2 रिकार्डेड खातेदार है। पूर्ववर्ती वाद के तथ्यो को छुपाकर नया वाद लेकर आए है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। पूर्ववर्ती वाद मे जो अधिकार छोड दिये गए है उन्हे पुनः प्राप्त नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है। इस लिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.....6

निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण मुख्यतः 3 बिन्दुओं पर किया जाना है।–

प्रथम दृष्टया केसः– वादिया प्रतिवादी सं0 1 की पुत्री है। मुताबिक जमाबन्दी छायाप्रति सम्वत 2070 – 2073 वाके ग्राम जगन्नाथपुरा मोहनलाल, नारायण, प्रेम पि0 सुवा हिस्सा 4/7 दर्ज रिकार्ड है। भू – प्रबन्धक (सैटलमेन्ट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त मे वादभूमि सेवालाल वल्द परसवानी जाति गुसाई अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात से वाद भूमि का पैतृक होना साबित है व स्वंय अप्रार्थी सं0 1 ने अपने जबाब मे प्रार्थीया को अपनी पुत्री स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण ने वादभूमि के स्वअर्जित होने के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है। वादभूमि के पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीया का अपने पिता अप्रार्थी सं0 1 की भूमि मे अधिकार मूलवाद मे बाद साक्ष्य तय किए जाने है, परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थीया का वाद भूमि से सम्बन्ध साबित है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीया के पक्ष मे बखुबी साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– प्रार्थीया ने वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने जबाब मे प्रार्थीया को अपनी पुत्री माना है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी ख0न0 136, 137 कुल किता 02 कुल रकबा 4.16 बीघा की आराजी को छोडकर शेष विवादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय कर दिया है। मुताबिक विक्रय पत्र वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय किया जाना साबित है। प्रार्थीया ने वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थीया का हक व हिस्सा मूल वाद मे निर्धारित किया जावेगा। अगर अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को बैचान कर दिया जावेगा तो

लगातार.....7

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थीया को भारी मात्रा मे अपुर्णीय क्षति होने की सम्भावना है, जिसकी पुर्ति किया जाना सम्भव नही है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षमि का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष मे साबित है।

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थीया अप्रार्थी सं0 1 की वारिस है तथा उक्त विवादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीया का हक व अधिकार मूलवाद मे निर्धारित किया जावेगा। अप्रार्थी सं0 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को बैचान व खुर्द – बुर्द करने की सम्भावना प्रतीत होती है। अगर अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त आराजी का बैचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड सकता है। इस लिये प्रार्थीया का प्रार्थन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 व 2 के विरूद्व मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खसरा नम्बरान 117 रकबा 4.05 बीघा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1.13 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 120 रकबा 3.16 बीघा, खसरा नम्बर 121 रकबा 17.05 बीघा, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.09 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 124 रकबा 4.03 बीघा, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 127 रकबा 3.09 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 129 रकबा 5.07 बीघा, खसरा नम्बर 130 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 133 रकबा 5.14 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 1.15 बीघा खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.19 बीघा, एवं खसरा नम्बर 150 रकबा 2.13 बीघा कुल किता 22 कुल रकबा 64.03 बीघा ग्राम जगन्नाथपुरा पटवार हल्का नीमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात को रहन, विक्रय, दान, उपहार व अन्य दिगर तरीके से अन्तरण नही करे तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूलवाद के साथ हमफिता रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)